संख्या 562

...लय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

मनिजर दुसाध वगै० ....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम मनोज दास वगै० ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....129..........सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक मैनेजर दुसाध वगै0 पिता स्व0 हिरामन दुसाध, साकिन-कोशी टोला-कोझिया, थाना-बगोदर, अंचल-सरिया, जिला-गिरिडीह द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा-मन्दरामो, अंतर्गत खाता नं0-110/321, प्लॉट नं0-3767, रकवा-01 एकड़ 86 डी0, चौहद्दीः उ0-भरत दुसाध, द0-बुधनी देवी, पू0-भरत दुसाध, प0-भरत दुसाध में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी, सरिया/थाना प्रभारी, बगोदर से मांगे। To 20/x/22 10/x/22 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

...ी क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/~~अंचल अधिकारी~~ बो0रा0 के ज्ञापांक सं0 345/22 दिनांक 26.10.2022 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 24/11/22 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 24/11/22 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

आदेश क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24/11/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उप०। अभिलेख दिनांक 8/12/22 को रखें।	
8/12/22	प्रथम पक्ष वकालतनामा हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष की ओर से जवाब दाखिल। अभिलेख दिनांक 22/12/22 को रखें।	
22/12/22	उभय पक्ष उप०। वाद बहस के लिए तारीख 05-01-2023 को दिया जाता है।	
05/1/23	उभय पक्ष उप०। अभिलेख 9-01-23 को रखें।	
9/1/23	उभय पक्ष उप०। पुश्तागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार पुश्तागत भूमि उनके पूर्वज [illegible] को वर्ष 1935 में सादा हुकुमनामा से हासिल है। अंचल कार्यालय सरिया से मालगुजारी रसीद	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	करता आ रहा है तथा उक्त भूमि पर खेती कर दखलकार रहे हैं। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में सादा हुकुमनामा की छाया प्रति, रामप्रसाद राम द्वारा निर्गत खालसा लगान रसीद सं०-250ग्ग वर्ष 1937, सं०-अपठनीय वर्ष 1938 की छायाप्रति सरकारी लगान रसीद जो अपठनीय है दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार वर्ष 1984-85 में सरकारी बन्दोबस्ती के माध्यम से उन्हें जमीन हासिल हुई। जमीन बन्दोबस्ती के पूर्व अंचल कार्यालय बगोदर से आम इश्तहार भी गया था, परन्तु किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में जमीनबन्दोबस्ती पर्चा की छाया प्रति एवं सरकारी लगान रसीद दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी, सरिया का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन	

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है तथा प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा नहीं है। थाना प्रभारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि जानवरों के अड्डा के रूप में उपयोग किया जा रहा था, परन्तु विगत दो-तीन वर्षों से प्रथम पक्ष उस पर दावा कर रहे हैं। उभय पक्षों द्वारा दाखिल दस्तावेजों एवं कारण पृच्छा का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष द्वारा पदमा राज द्वारा निर्गत सादा हुकुमनामा एवं खालसा रसीद दाखिल किया गया है जो क्रमशः वर्ष 1935 एवं 1937 का है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 1937 के पूर्व रामगढ़ राज Wards Encumbered Estate के माध्यम से संचालित था। अतः दाखिल दस्तावेज संदेहास्पद है। वर्ष 1985-86 में निर्गत सरकारी भू-बंदोबस्ती पर्चा के लगभग 45 वर्षों के बाद यह विवाद हुआ है. अतः उभय पक्षों का दावा विचारणीय प्रतीत नहीं होता है। चूंकि निषेधाज्ञा की अधिकतम वैधानिक 60 दिनों की होती है, अतः निषेधाज्ञा को	

6

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	समाप्त करते हुये अंचल अधिकारी सरिया को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि अपने कब्जे में ले लें। साथ ही प्रथम पक्ष की रसीद कैसे तथा कब कटी है, इसका प्रतिवेदन भी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर को भेजें। उक्त विवेचन के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। आदेश से उभयपक्षों को एवं अंचल अधिकारी, सरिया को अवगत करावें। 9/1/23 SDO	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.01.11 16:23:30 +05:30
Location: 192.168.1.3